

आवेदन क्रमांक.....
दिनांक.....



जलकल विभाग, नगर निगम, कानपुर
जोन-

(ओ०टी०एस० फार्म)

उत्तर प्रदेश शासनादेश संख्या 931/नौ-9-2026-ई-1650937 दिनांक 20.07.2026 द्वारा जल / सीवर कर की वसूली हेतु
समाधान योजना (OTS)
(15 अगस्त 2026 से 14 दिसम्बर 2026 तक प्रभावी)

- प्रतिष्ठान / स्वामी / अध्यासी का नाम:
- वार्ड सं० व वार्ड का नाम:
- भवन संख्या:
- पी०आई०डी० संख्या:
- भवन का प्रकार (आवासीय / अनावासीय / मिश्रित):
- समस्त व्यक्तिगत / राज्य सरकार / केन्द्र सरकार / स्वायत्तशासी निकाय / पब्लिक सेक्टर यूनिट / अन्य:
- व्हाट्सएप मोबाइल नं०:
- ई-मेल आई०डी०:

वर्तमान माँग	बकाया	सरचार्ज	योग

भवन स्वामी के हस्ताक्षर.....
भवन स्वामी का नाम.....
मो० नं०.....

नोट:— सरचार्ज की धनराशि पर छूट तभी प्राप्त होगी, जब सम्पूर्ण बकाये की धनराशि का भुगतान बकायेदार द्वारा कर दिया जायेगा।
(शासनादेश अनुसार)

कार्यालय प्रयोगार्थ हेतु

विभागीय आख्या:—

भवन सं०..... पी०आई०डी०..... कर निर्धारण वर्ष.....

बकाया की स्थिति	अद्यतन जमा की स्थिति (2026-27)	ओ०टी०एस० के अन्तर्गत छूट धनराशि	ओ०टी०एस० की गणनानुसार देय धनराशि
वर्तमान			
बकाया			
सरचार्ज			
योग			

ओ०टी०एस० के पश्चात कुल देय धनराशि रु०.....

भुगतान का विवरण रसीद सं० / दिनांक.....

वसूलीकर्ता

बिलिंग प्रभारी

अधिशायी अभियन्ता

प्राप्ति रसीद

- आवेदन क्रमांक: दिनांक:
- प्रतिष्ठान / स्वामी / अध्यासी का नाम:
- वार्ड सं० व वार्ड का नाम:
- भवन संख्या:
- प्राप्ति का दिनांक: प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर: